अध्याय 6

राज्य वित्त साधन : राजस्व एवं व्यय का आकलन

6.1 राज्यों को कर सुपुर्दगी और सहायता-अनुदान के संबंध में सिफारिशें करने के लिए, अवधि 2005-10 के लिए राज्यों के राजस्वों और व्ययों का आकलन करना आवश्यक है। इस संदर्भ में, विचारार्थ विषयों का पैरा 11 हमसे प्राप्तियों और व्यय का राज्य-वार अनुमान तैयार करने की अपेक्षा करता है। इस प्रक्रिया को करते समय, विचारार्थ विषयों के पैरा 6 के अंतर्गत, आयोग को राज्य सरकारों के संसाधन और उनके कराधान प्रयासों, राज्यों के राजस्व लेखे को संतुलित करने की आवश्यकता, पूंजी आस्तियों के अनुरक्षण और पूर्ण आयोजना स्कीमों, और सिंचाई और विद्युत क्षेत्रों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने पर विचार करना है।

बुनियादी दृष्टिकोण

6.2 राज्यों के राजस्वों और व्ययों के आकलन का एक नियामक दृष्टिकोण के द्वारा मार्गदर्शन किए जाने की आवश्यकता है जिससे अंतर-राज्यीय समता सुनिश्चित होती है और प्रतिकूल प्रोत्साहनों को टाला जाता है। कोई राज्य उससे ज्यादा हिस्सा हासिल नहीं कर सकता जितना कि इसकी राजकोषीय क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए अभीष्ट होती है। इसी प्रकार, एक राज्य को आकलन में गौर किए जाने वाले प्रामाणिक विचारों द्वारा न्यायोचित न ठहराए जाने वाले व्यय का अनुमान नहीं करना चाहिए। तथापि, हमने यह माना है कि प्रामाणिक सिद्धांत को क्षमताओं और लागतों को प्रभावित कर रहे विभिन्न आयामों के संबंध में राज्यों की विषमता और प्रासंगिक आंकड़ों की उपलब्धता संबंधी समस्याओं के कारण, पूर्णतः लागू करना संभव नहीं है। पूर्वानुमान अवधि 2005-10 के दौरान राज्यों की प्राप्तियों और व्यय के लिए हमने अनुमानों में, अपने वित्त लेखों में यथानिहित 1993-2003 के राजकोषीय आंकड़ों पर, और 2003-04 तथा 2004-05 के क्रमशः संशोधित और बजट अनुमानों पर भरोसा किया है। 2005-10 की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य से राजस्व तथा व्यय के अनुमान भी हासिल किए गए थे। इन अनुमानों की मांग करते समय, राज्यों को यह निर्दिष्ट किया गया है कि वे मोटे तौर पर मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम (एमएफटीएफआरपी) के अंतर्गत किए जा रहे उद्देश्यों के अनुपालन में होने चाहिए।

6.3 सारणी 6.1 कुल मिलाकर राज्यों से प्राप्त अनुमानों के साथ कतिपय बड़े राजकोषीय मानदंडों के लिए पूर्वावधि आंकड़ों की तुलना दिखाती है, वहीं अनुबंध 6.1 में अनुमानों का राज्य वार ब्यौरा दिया गया है।

6.4 कुल मिलाकर, सुपुर्दगी-पूर्व घाटा वर्ष 2002-03 में स.घ.उ. के 4.5 प्रतिशत के स्तर से कम होकर 2004-05 (ब.अ.) में 4 प्रतिशत, और 2009-10 में अंततः 3.8 प्रतिशत होता नजर आ रहा है। तथापि, 2004-10 के दौरान कटौती पूरी तरह स.घ.उ. के 1.2 प्रतिशतांक वाले आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की अनुमानित कमी की वजह से है जिसकी महत्वपूर्ण भरपाई इस अवधि में स.घ.उ. के 1 प्रतिशतांक द्वारा स्व-राजस्व प्राप्तियों में अनुमानित कटौती से की गई। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में स्व-राजस्व प्राप्तियों में हुई कमी मजबूत राजकोषीय स्थिति पर लक्ष्य रखते हुए संपूर्ण लोक वित्त साधनों की पुनर्संरचना के उद्देश्य को हासिल करने में मदद नहीं कर सकती है।

6.5 अतः हमने प्रत्येक राज्य हेतु राजस्व और व्यय के स्व-आकलन करने का निश्चय किया। हमारे वृहद दृष्टिकोण का

सारणी 6.1

पूर्व राजकोषीय आंकड़ों की राज्यों द्वारा किए गए अनुमानों से तुलना

(करोड़ रुपए/प्रतिशत)

मद	1993-94 (वास्तविक आंकड़े)	2002-03 (वास्तविक आंकड़े)	2004-05 बजट अनुमान	2009-10 (राज्यों के अनुमान	2005-10 (राज्यों के अनुमान)
1. स्व-राजस्व प्राप्तियां	59081	166484	215941	328482	1391002
	(6.9)	*(6.7)*	*(7.0)*	*(6.0)*	*(6.3)*
2. आयोजना-भिन्न राजस्व प्राप्तियां	87552	277630	340444	534054	2315499
	(10.2)	*(11.2)*	*(11.0)*	*(9.8)*	*(10.5)*
3. सुपुर्दगी-पूर्व घाटा (1-2)	-28471	-111147	-124503	-205572	-924497
	(-3.3)	*(-4.5)*	*(-4.0)*	*(-3.8)*	*(-4.2)*
4. स.घ.उ. (वर्तमान मूल्य)	859220	2469564	3104857	5471819	22091645

यें आंकड़े स.घ.उ. की प्रतिशतता के हैं।

वर्ष 2004-10 के लिए चालू कीमतों पर स.घ.उ. का अनुमान वित्त आयोग द्वारा लगाया गया है।

मार्गदर्शन अध्याय 4 में रेखांकित राज्यों के लोक वित्त साधनों की पुनर्संरचना के समग्र उद्देश्य द्वारा किया गया है। पूर्वानुमान अवधि में 28 राज्यों में से प्रत्येक के लिए अनुमान करने हेतु मानदंडों का उपयोग किया गया है। यह एक द्वि-चरणीय प्रक्रिया है। पहले चरण में, आधार वर्ष 2004-05 के लिए राजस्व और व्यय का अनुमान लगाया गया। आधार वर्ष में कुछ सुधार जरूरी थे, क्योंकि बजट अनुमानों को स्वीकृत करने से व्यय में शिथिलता या राज्यों की तरफ से राजस्व उगाने में अक्षमता हो सकती है। अतः राजस्व और व्यय के 2005-10 के लिए, राजकोषीय पुनर्संरचना के समग्र लक्ष्यों के अनुरूप, प्रामाणिक अनुमान किए गए थे।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

6.6 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) राज्य सरकारों की राजस्व उगाने की राजकोषीय क्षमता का संकेत देता है। जीएसडीपी स्तर आर्थिक वृद्धि की चुनी गई कार्ययोजना को जारी रखने के लिए व्यय स्तर का एक अनुमान देते हैं। अतः हमारा पहला काम पूर्वानुमान अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य के जीएसडीपी का अनुमान करना रहा है।

6.7 कारक लागत पर नॉमिनल जीएसडीपी के तुलनात्मक स्तरों पर कालानुक्रम आंकड़ों को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 2001-02 तक के लिए उपलब्ध कराया गया। प्रत्येक राज्य से अलग-अलग प्राप्त अतुलनीय नॉमिनल जीएसडीपी श्रृंखला वर्ष 2002-03 तक राज्यों की श्रृंखलाओं से उपलब्ध कराई गईं। 2002-03 की वृद्धि दरें, प्रत्येक राज्य हेतु 2002-03 के तुलनीय नॉमिनल जीएसडीपी प्राप्त करने के लिए, तुलनीय श्रृंखला के 2001-02 जीएसडीपी पर लागू की गई थीं। अगला कदम 2003-04 के लिए और फिर 2009-10 तक नॉमिनल जीएसडीपी का अनुमान लगाना था। चूंकि सकल जीएसडीपी की नॉमिनल वृद्धि दर स.घ.उ. की दर से मामूली कम रही है, इसलिए स.घ.उ. की दर से कुल जीएसडीपी की रूझान वृद्धि दर (टीजीआर) का अनुपात 1993-2002 की अवधि के लिए प्राप्त किया गया। वर्ष 2003-04 में स.घ.उ. के लिए अपनाई गई 12.25 प्रतिशत वृद्धि दर पर यह अनुपात लागू किया गया। इससे 2003-04 के कुल जीएसडीपी के लिए 11.1 प्रतिशत नॉमिनल वृद्धि दर का आंकड़ा प्राप्त हुआ। 1997-2002 की अवधि के लिए राज्य-विशिष्ट नॉमिनल वृद्धि दरों को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक राज्य के तुलनीय जीएसडीपी की औसत सालाना वृद्धि दर को निकाला गया और इस तरीके से समानुपातिक रूप से समंजित किया गया कि कुल मिलाकर नॉमिनल जीएसडीपी वृद्धि दर 11.1 प्रतिशत हो गई। इन राज्य-विशिष्ट वृद्धि दरों को, प्रत्येक राज्य के लिए 2003-04 स्तरों को प्राप्त करने के लिए, 2002-03 स्तरों पर लागू किया गया था। इसी तरीके से, 2004-05 के लिए राज्य-विशिष्ट वृद्धि दरें निकालीं गईं और उन्हें 2004-05 के लिए राज्य-वार नॉमिनल जीएसडीपी अनुमानों को प्राप्त करने के लिए अनुमानित 2003-04 स्तरों पर लागू किया गया। 2004-05 के लिए यह नोट किया जाए कि 12 प्रतिशत अनुमानित नॉमिनल स.घ.उ. वृद्धि दर से कुल जीएसडीपी हेतु 10.9 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त हुई।

6.8 पूर्वानुमान अवधि 2005-10 में, स.घ.उ. की वार्षिक नॉमिनल वृद्धि दर का 12 प्रतिशत पर पूर्व अनुमान लगाया गया है। जीएसडीपी पूर्वानुमानों के प्रयोजनार्थ, उसी वृद्धि दर (अर्थात् 12 प्रतिशत) को राज्यों के वित्त साधनों की पुनर्संरचना हेतु संपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनाया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में व्यक्त विचार कि जीएसडीपी में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए विभिन्न दरों पर वृद्धि होनी चाहिए, के अनुसान हमने दसवीं योजना दस्तावेज के 8 प्रतिशत और अधिक की औसत वास्तविक सालाना वृद्धि दर को हासिल करने के लिए पूर्वानुमान राज्यों हेतु 12.8 प्रतिशत की सालाना नॉमिनल वृद्धि दर नियत की है। इसी तरह, दसवीं योजना के दौरान 8 प्रतिशत और 7 प्रतिशत के बीच और 7 प्रतिशत के नीचे रहने वाली वास्तविक सालाना वृद्धि दर हासिल करने वाले संभावित राज्यों हेतु क्रमशः 12 प्रतिशत और 11 प्रतिशत की नॉमिनल वृद्धि दरें निर्धारित की गई हैं। अनुबंध 6.2 में जीएसडीपी की राज्य-वार वृद्धि दरें दी गई हैं। कुल जीएसडीपी का सालाना नॉमिनल वृद्धि दर तब पूर्वानुमान अवधि 2005-10 के दौरान 12 प्रतिशत बनती है।

स्व-कर राजस्व

6.9 स्व-कर राजस्वों के पूर्वानुमान का हमारे दृष्टिकोण का टीओआर के पैरा 6(iii) द्वारा मार्गदर्शन किया गया है जिसमें कहा गया है "आयोग अपनी सिफारिशों को करने के लिए 2003-04 के अंत में संभावित कराधान और कर-भिन्न राजस्वों के आधार पर 1 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ पंचवर्षीय अवधि के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों पर अन्य विचारों के साथ विचार करेगा।" पैरा 6(v) आगे तय करता है कि आयोग प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान प्रयासों के लक्ष्य, यदि कोई हो, को और कर जीएसडीपी अनुपात सुधारने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की संभावना पर गौर करेगा।

6.10 राज्यों के स्व-कर राजस्वों में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन और यात्री कर, और अन्य शामिल हैं। दसवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य हेतु प्रत्येक श्रेणी का अलग-अलग अनुमान किया है। तथापि, ग्यारहवें वित्त आयोग ने कारण बताया है कि विभिन्न कर रूझानों के बीच प्रतिस्थापन संभावनाओं ने स्व-कर राजस्वों को एक बहुप्रयोजन वाले समूह के रूप में प्रक्षेपित करना अधिक वांछनीय बनाया है। हम ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा व्यक्त विचार से सहमत हैं।

6.11 टीओआर के अनुसार, कर जीएसडीपी अनुपात में सुधार करना राज्यों के स्व-कर राजस्वों के प्रक्षेपण के लिए मूल सिद्धांत बना। इसे पहले कुछ राज्यों के लिए आधार वर्ष में कर योग्य क्षमता के अल्प उपयोग के लिए समायोजित करके और बाद में प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट कर उत्प्लावकता के आदर्शनिष्ठ स्तरों के माध्यम से इसके उपयोग में और सुधार करके हासिल किया गया था।

आधार वर्ष अनुमान

6.12 स्व-कर राजस्व (ओटीआर) के टीजीआर का 1993-2003 की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य हेतु अनुमान लगाया गया है और उन्हें आधार वर्ष 2004-05 हेतु टीजीआर आधारित अनुमानों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य के संबंधित 2002-03 (वह नवीनतम वर्ष जिसके लेखे आंकड़ें उपलब्ध हैं) स्तरों पर लागू किया गया। छह

द्विभाजित राज्यों के लिए, उसी टीजीआर का मूल और विभाजन पश्चात अलग किए गए राज्यों के लिए प्रयोग किया गया है, इसे 1993-2003 की अवधि के संयुक्त लेखों से प्राप्त किया गया था। इस प्रकार ज्ञात किए गए टीजीआर को 2004-05 के टीजीआर आधारित अनुमानों को प्राप्त करने के लिए द्विभाजित राज्यों के लिए 2002-03 के पृथक लेखों पर लागू किया गया। तत्पश्चात प्रत्येक राज्य के ओटीआर के टीजीआर आधारित अनुमान की तुलना 2004-05 के संबंधित बजट अनुमानों से की गई और दोनों में से अधिक अनुमान को आधार वर्ष के लिए प्रारंभिक अनुमानों के रूप में चुना गया। प्रारंभिक अनुमानों को फिर प्रत्येक राज्य के लिए जीएसडीपी से अनुपात के रूप में व्यक्त किया गया, और विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए इस अनुपात की औसतों को 2004-05 के लिए अलग से परिकलित किया गया।

6.13 प्रामाणिक आकलन के प्रयोजनार्थ आधार वर्ष 2004-05 में कर योग्य क्षमता के अल्प-प्रयोग हेतु कम से कम आंशिक समायोजन को उन राज्यों के लिए उचित माना गया जहां पर ओटीआर का जीएसडीपी से अनुपात संबंधित श्रेणी की औसत से नीचे था। विशेषतः कम औसत वाले राज्यों के संबंध में प्रामाणिक आधार वर्ष अनुमान के प्रयोजनार्थ हमने विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों की संबंधित वर्ग औसत से उनकी दूरी के अनुमानित कर जीएसडीपी अनुपातों को 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी द्वारा बढ़ाया। इस तरीके से प्रत्येक राज्य के प्रामाणिक ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात को ज्ञात करके उसे मात्रात्मक (रुपया) रूप में, ओटीआर के आधार वर्ष के समायोजित स्तर पर पहुंचने के लिए 2004-05 के अनुमानित जीएसडीपी स्तर पर लागू किया गया। इससे आधार वर्ष में राष्ट्रीय स.घ.उ. पर 5.9 प्रतिशत अनुपात सभी राज्यों के लिए समायोजित स्व-कर राजस्व एकत्रित हुआ।

पूर्वानुमान अवधि के लक्ष्य

6.14 हमने पूर्वानुमान अवधि में स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल ओटीआर में 0.9 प्रतिशतांक से कुछ कम की बढ़ोतरी समाविष्ट की है अर्थात आधार वर्ष में 5.91 प्रतिशत से अंतिम वर्ष में 6.75 प्रतिशत। यह सरकारी वित्त साधनों की पुनर्संरचना हेतु आयोजना के अनुसार है। ओटीआर/स.घ.उ. अनुपात में वृद्धि का अर्थ है कि कुल ओटीआर को पूर्वानुमान वृद्धि में 15 प्रतिशत वार्षिक दर पर बढ़ना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर, अनुबंध 6.2 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार अलग-अलग राज्यों को 1.1, 1.2, 1.25, 1.3 और 1.35 के आदर्शनिष्ठ उत्प्लावकता स्तर दिए गए। अलग-अलग राज्यों को आदर्शनिष्ठ उत्प्लावकताएं देते हुए, वैट की शुरूआत का असर यदि राजस्व बढ़ाने वाला नहीं तो राजस्व पर निष्प्रभावी माना गया था।

6.15 आदर्शनिष्ठ उत्प्लावकताएं समनुदेशित करने के लिए, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा गया हैः

(i) 2000-03 में हासिल औसत ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात।

(ii) 1993-96 की तुलना में 2000-03 में ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात में सुधार।

(iii) 1999-2002 के लिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का औसत।

उदाहरणार्थ, किसी राज्य को इसलिए उच्च उत्प्लावकता निर्दिष्ट की गई क्योंकि इसका हालिया ओटीआर/जीएसडीपी अनुपात और समयावधि में इसमें सुधार अपेक्षाकृत कम रहे बशर्ते कि इसकी प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक रही। प्रत्येक राज्य के लिए ओटीआर की औसत वृद्धि दर की प्राप्ति के लिए समनुदेशित उत्प्लावकता अनुमानित राज्य-विशिष्ट जीएसडीपी वार्षिक वृद्धि दर से वर्धित हुई, जिसे तब पूर्वानुमान अवधि में ओटीआर स्तर सृजित करने के लिए आधार वर्ष अनुमानों पर लागू किया गया। अनुबंध 6.2 पूर्वानुमान अवधि के दौरान राज्यों की अनुमानित जीएसडीपी वृद्धि दरों का संकेत देते हैं।

स्व-कर-भिन्न राजस्व

6.16 ओटीआर के विपरीत स्व-कर-भिन्न राजस्वों (ओएनटीआर) को एक बहुप्रयोजन वाली श्रेणी नहीं माना गया है क्योंकि इनमें प्राप्ति मद शामिल है जिनमें आपस में बहुत कम उभयनिष्ठता है। अतः ओएनटीआर के अधीन बड़ी प्राप्ति मदों का अलग से अनुमान किया गया है। आंकड़ों के अभाव के परिप्रेक्ष्य में, शेष मदों को एक अवशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत इकट्ठा किया गया और अनुमान अवधि के लिए एक समान मानदंड लागू किया गया। प्रक्षेपित मदें निम्नानुसार हैंः

(i) ब्याज प्राप्तियां और लाभांश;

(ii) रायल्टी;

(iii) वानिकी और वन्य जीवन से प्राप्तियां;

(iv) अन्य विविध सामान्य सेवाएं और लाटरी;

(v) सिंचाई प्राप्तियां; और

(vi) अन्य स्व-कर भिन्न राजस्व।

ब्याज प्राप्तियां और लाभांश

6.17 ब्याज प्राप्तियां राज्यों को उनकी सरकारों द्वारा दिए गए सांस्थानिक और गैर-सांस्थानिक ऋणों पर उपचित होती हैं। सांस्थानिक उधार मुख्यतः राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) जिनमें राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी), राज्य सड़क परिवहन निगम (एसआरटीसी) और अन्य वाणिज्यिक और संवर्धनात्मक उद्यम शामिल हैं, को दिए जाते हैं। गैर-सांस्थानिक ऋण अधिकांशतः सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं। यह पाया गया है कि सभी राज्यों के लिए कुल मिलाकर बकाया ऋणों पर प्रतिफल की प्रभावी दर 2002-03 में लगभग 2 प्रतिशत पर बहुत कम थी। यह उस दर जिस पर राज्य सरकारें ऋण लेती हैं, से काफी कम थी। विशेषतः एसईबी और एसआरटीसी ने ब्याज भुगतानों और ऋण पुनः अदायगियों में नेमी चूकें कीं। इसी तरह लाभांशों के मामले में हुआ, जहां प्रतिफल की आय भी 2002-03 में 0.6 प्रतिशत पर कम थी।

6.18 टीओआर का पैरा 6(vii) उल्लेख करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों जिनमें विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं, की व्यावसायिक व्यवहार्यता को प्रयोक्ता प्रभारों के समायोजन और निजीकरण या विनिवेश के माध्यम से प्राथमिकता-भिन्न उद्यमों के त्याग जैसे उपायों के माध्यम से सुनिश्चित करने की जरूरत है। हमने पूर्वानुमान

अवधि के अंतिम वर्ष तक क्रमिक रूप में हासिल किए जाने वाले बकाया ऋणों और अग्रिमों पर 7 प्रतिशत प्रतिफल और इक्विटी पर 5 प्रतिशत प्रतिफल की कल्पना की है। इस प्रयोजनार्थ, 1.4.2005 को ऋणों और अग्रिमों की राशि और 1.4.2003 को इक्विटी स्तरों को पूर्वानुमान अवधि के दौरान स्थिर रखा गया है।

रॉयल्टी

6.19 इस शीर्ष के अधीन, खनिज, कोयला और पेट्रोलियम से रॉयल्टी पर विचार किया गया है। हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अधिकांश मामलों में रॉयल्टी की दरों को संशोधित करने की शक्ति केन्द्र सरकार में विहित है। भारत सरकार व्यवस्थानुसार रॉयल्टी दरों का संशोधन नहीं करती रही है। विशेषतः कोयला और लिग्नाईट के बारे में यह सत्य है। हम अनुशंसा करते हैं कि रॉयल्टी के कुछ राज्यों हेतु राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत होने की वजह से, रॉयल्टी की दरों को मूल्यानुसार आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

6.20 इस राजस्व प्रवृत्ति की स्थापना हेतु हमने इस पर विचार किया कि क्योंकि राज्यों के पास रॉयल्टी दरों को संशोधित करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए इस शीर्ष के अधीन राजस्व की मुद्रास्फीति के साथ गति बनाए रखना सबसे अच्छी बात है। तीन वर्ष 2002-05 के औसत की 2004-05 (ब.अ.) से तुलना की गई थी और दोनों में से उच्चतर को आधार वर्ष आंकड़े के रूप में अपनाया गया और 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर को 2005-10 के लिए आंकड़ों को स्थापित करने के लिए लागू किया गया।

वानिकी और वन्य जीवन से प्राप्तियां

6.21 इस शीर्ष के अधीन प्राप्तियां किसी भी राज्य के लिए कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने वन संपदा जिसका राज्यों के राजस्व पर परिणामी प्रभाव होता है, के शोषण पर प्रतिबंध लगाएं हैं। इस मामले में, तीन वर्ष 2002-05 के औसत राजस्व की 2004-05 (ब.अ.) से तुलना की गई और दोनों में से उच्चतर को आधार वर्ष अनुमान के लिए अपनाया गया और उसे पूर्वानुमान अवधि के लिए उस स्तर पर धारित किया गया।

अन्य विविध सामान्य सेवाओं और लाटरियों से प्राप्तियां

6.22 इस शीर्ष के अधीन मदों में किसी अन्य मुख्य शीर्ष के अधीन शामिल नहीं की गईं विविध प्राप्तियां शामिल हैं। इस शीर्ष के अधीन प्राप्तियों की अनिश्चितता के कारण, तीन वर्ष 2002-05 की औसत को आधार वर्ष अनुमान के रूप में लेना उत्तम माना गया जिस पर पूर्वानुमान अवधि में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर लागू की गई थी। निवल धनात्मक लाटरी प्राप्तियों का 2000-03 के लिए (2001-03 द्विभाजित राज्यों हेतु) औसत निकाला गया और इसे पूर्वानुमान अवधि में उस स्तर पर स्थिर रखा गया।

सिंचाई से प्राप्तियां

6.23 टीओआर का पैरा 6(vii) सिंचाई परियोजनाओं की व्यवसायिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने की जरूरत का हवाला देता है। अतः यह निश्चित किया गया कि इस मद के अधीन प्राप्तियों के अनुमान हेतु चालू लागतों की वसूली का सिद्धांत प्रत्यक्षतः अपनाया जाए। 2004-05 (ब.अ.) में सिंचाई प्राप्तियां जिन्हें आधार वर्ष अनुमानों के रूप में अपनाया गया है, कुल मिलाकर सभी राज्यों के लिए सिंचाई पर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का 32.3 प्रतिशत थी। यह वसूली दर बहुत कम समझी गई। लागत वसूली की उच्च दरों के बिना, सिंचाई नेटवर्क के अनुरक्षण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। तद्नुसार सिंचाई प्राप्तियों के आकलन में, पूर्वानुमान अवधि में बड़ी मध्यम और लघु आकार की सिंचाई परियोजनाओं के लिए अनुमानित प्रयुक्त संभाव्यता पर व्यय अनुरक्षण के संबंध में 2005-06 में 50 प्रतिशत लागत वसूली दर, 2006-07 में 60 प्रतिशत, 2007-08 में 70 प्रतिशत, 2008-09 में 80 प्रतिशत और 2009-10 में 90 प्रतिशत लागत वसूली दर निर्दिष्ट की गई हैं।

अन्य स्व-कर-भिन्न राजस्व

6.24 अन्य स्व-कर-भिन्न राजस्व (ओओएनटीआर) के अधीन प्राप्तियां कुल स्व-कर-भिन्न राजस्वों से, ऊपरोल्लिखित मदों को छोड़ने के बाद, एक अवशिष्ट श्रेणी बनाती है और ये वृहत रूप से विभिन्न प्रयोक्ता प्रभारों से प्रवाहों को दर्शाते हैं। ये अवशिष्ट मद सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विभक्त की गईं थी। ऐसा करते समय, सामान्य सेवाओं से "चुनाव" शीर्ष के अधीन प्राप्तियों को अलग कर दिया गया, क्योंकि चुनाव व्यय का अलग से निवल आधार पर अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार, डेयरी, विद्युत एवं परिवहन से प्राप्तियों को भी आर्थिक सेवाओं से अलग कर दिया गया। आर्थिक सेवाओं से इन्हें हटाना विभाग द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसायिक कार्यकलापों के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडियों को अनुमति नहीं प्रदान करने के हमारे पक्ष के अनुरूप था। इस प्रकार प्रत्येक राज्य के लिए 1993-2003 (वास्तविक), 2003-04 (स.अ.) तथा 2004-05 (ब.अ.) की अवधि के लिए समायोजित ओओएनटीआर (सेवा-वार) प्राप्त किया गया। आगे, 1993-2003 अवधि के लिए परिकलित किया गया तथा 2004-05 के लिए प्रारंभिक अनुमानों के लिए 2002-03 स्तरों पर अनुपयोग किया गया। अलग किए गए राज्यों के लिए, वृद्धि दर की प्रवृत्ति के अनुमान के लिए संयुक्त लेखे उपयोग किए गए जिसे 2002-03 के उनके संबंधित लेखों पर प्रारंभिक अनुमान के सृजन के लिए अनुप्रयोग किया गया है। इन प्रारंभिक अनुमानों की तुलना 2004-05 (ब.अ.) के अनुमानों के साथ की गई है तथा दोनों में से अधिक वाले को आधार वर्ष अनुमान माना गया है। इन अनुमानों पर 12.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर सामान्य सेवाओं पर तथा सामाजिक एवं पूर्वानुमान अवधि में आर्थिक सेवाओं दोनों के लिए 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर अनुप्रयुक्त की गई है जो राज्यों को इन सेवाओं में लागत वसूली के ज्यादा परिमाण प्राप्ति की आवश्यकता को दर्शाता है।

आयोजना-भिन्न गैर-वित्त आयोग अनुदान

6.25 ये मुख्यतः भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रदत्त विवेकपूर्ण अनुदान हैं। चूंकि ये आयोजना-भिन्न मद में गैर-वित्त आयोग (गैर-वि.आ.) अनुदान हैं अतः पूर्वानुमान अवधि में उनके स्तरों के बारे में देखा जाना आवश्यक है। ग्यारहवें-वित्त आयोग ने गत तीन वर्षों के औसत को आधार वर्ष अनुदानों के रूप में माना है तथा पूर्वानुमान अवधि में 10 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर को अनुप्रयुक्त किया है। चूंकि इन अनुदानों के अनुमान के लिए उनकी विवेकपूर्ण प्रकृति को देखते हुए कोई ठोस आधार नहीं है, अतः प्राप्तियों तथा व्यय दोनों के आधार वर्ष निर्धारण से उन्हे अलग किया

गया है। प्रत्येक राज्य के लिए 2000-03 की अवधि के लिए इन अनुदानों के औसत को आधार वर्ष स्तर माना गया। आयोजना-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के आधार वर्ष अनुदानों से इन्हें अलग किया गया। तदनुसार, चूंकि इन अनुदानों के व्यय का ब्यौरा उलब्ध नहीं था, गैर-वित्त आयोग अनुदानों के आधार वर्ष अनुमान के बराबर राशि को आयोजना भिन्न राजस्व व्यय के अंतर्गत "अन्य सामान्य सेवाएं" के आधार वर्ष अनुमानों से घटा दिया गया है।

व्यय : आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

6.26 आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय (एनपीआरई) के अनुमान में कर-भिन्न राजस्वों के सदृश तरीके का पालन किया गया है तथा जहाँ भी संभव हुआ, मदवार अनुमान किये गये। अन्य मामलों में, मदों को एकत्रित किया गया या तो पर्याप्त सूचना के अभाव के कारण अथवा श्रेणीवार प्रतिमानकों को लागू करने के प्रयोजन के लिए कुछ बृहत् श्रेणियों के अंतर्गत है। आगे, सामान्यतः हमारा उद्देश्य आयोजना राजस्व व्यय की वृद्धि में नियामक तरीके से कुछ दबाव हासिल करना रहा है, हमें यह भी विश्वास है कि इस व्यय के कतिपय घटक प्रोत्साहित किए जाने के योग्य हैं। ये घटक हैं; शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़कों एवं भवनों का रखरखाव। व्यय के अनुमान में हमने एनपीआरई के अन्य घटकों की तुलना में इन घटकों के अधिक मुक्त निरुपण का प्रावधान किया है।

6.27 अनुमान प्रक्रिया आरंभ करने से पहले 1993-2005 की अवधि की एनपीआरई आँकड़ा श्रृंखला में कतिपय समायोजन अपेक्षित हैं। अनुदानों के साथ-साथ आपदा राहत संबंधी व्यय को अलग किया गया है क्योंकि इस मद का अध्याय 9 में पृथक रूप से अनुमान किया गया है। स्थानीय निकायों के मामले में अनुदानों को राजस्व प्राप्ति से अलग रखा गया है परन्तु एनपीआरई के सम्बन्ध में व्यय को स्थानीय निकायों के दायरे में रखा गया है । हमारे विचार में, स्थानीय निकाय की अनुदानों के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को समग्र रूप से उन अनुदानों जिन्हें घाटा अनुदानों में सन्निहित किया गया है, के लिए अतिरिक्त अनुदानों के रूप में लिया जाना चाहिए। चुकता करने वाले निधि प्रावधानों से सम्बन्धित व्यय को "ऋण त्यागने के लिए समायोजन करना", शीर्ष के तहत रखा गया है, और इस व्यय को घाटा अनुदानों को पूरा करने के लिए असंगत के रूप में न माना जाए। इसके अलावा, सभी उन अभियुक्तियों के आंकड़ों को जिनका राज्यों के गैर-योजना राजस्व व्यय और कर-भिन्न राजस्व घाटों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव न पड़े, दोनों की मात्रा समान के विरोधाभास को हटा दिया गया है। इस शीर्ष के तहत, ब्याज प्राप्तियों के तहत विरोधाभास वाले ब्याज भुगतानों में सन्निहित कर दिया गया है। इसके अलावा, निधियों से/अन्तरण के लिए" व्यय के कम बताने के या अधिक बताने के प्रभाव को शून्य करने के लिए समायोजित कर दिया गया है। इसमें सम्बन्धित संचलनात्मक शीर्षों से जहां इन्हें रखा गया है, लेकिन, वास्तविक रूप से इनका प्रयोग नहीं किया गया है, उन "निधियों के लिए अंतरण" व्ययों को कम करना शामिल किया गया है। इसी प्रकार, जिन सम्बन्धित शीर्षों को जहां तदनुरूपी बजटीय आवंटन के बिना वास्तविक रूप से नगद निधियां ली गई हैं, को "निधियों से अंतरण" की प्राप्तियों में शामिल किया गया है। लाटरियों के सम्बन्ध में व्यय को अलग रखा गया है, चूंकि, निवल आधार पर इसे प्राप्ति खण्ड में रखा गया है। इसके अलावा, चुनावी व्यय को अलग रखा गया है, चूंकि चुनावों के तहत प्राप्तियों को हमारी आंकड़ा श्रृंखलाओं में विचार नहीं किया गया है और इसलिए भी कि चुनावी खर्चों को अलग से दिखाया गया है।

6.28 इन समायोजनों ने राज्यों के बीच एनपीआरई के तुलनात्मक आंकड़ों के मूल्यांकन को किया है। इसके अलावा, हमने विद्युत, परिवहन और डेयरी क्षेत्रों को शामिल करते हुए और गैर-योजना राजस्व व्यय तथा इन शीर्षों के तहत प्राप्तियों को छोड़ते हुए पता लगाई गई सब्सिडियों को खत्म कर दिया है। उपरोक्त सभी समायोजन प्रत्येक राज्य के लिए एनपीआरई श्रृंखलाओं का समायोजन मुहैया करते हैं। अतः आधार वर्ष अनुमानों को छोड़ने के लिए इन उपरोक्त सूचीबद्ध मदों को शामिल नहीं करती है।

6.29 विद्युत, परिवहन डेयरी और खाद्य से सम्बन्धित छोड़ी गई सब्सिडियों की श्रृंखलाओं को समायोजित किया गया है। अतः यह महसूस किया गया कि तथापि, किसी दूर-दराज के राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुगमता से पहुंच बनाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसलिए, पूर्वानुमित अवधि में प्रत्येक राज्यों के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर पर खाद्य सब्सिडी के लिए वार्षिक प्रावधान किया गया है। खाद्य सब्सिडी की राशि को अनुबन्ध 6.3 में दिखाया गया है।

6.30 प्रत्येक राज्य के समायोजित गैर-योजना राजस्व व्यय को मुख्य चार बड़ी श्रेणियों अर्थात् सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं आर्थिक सेवाओं और स्थानीय निकायों के लिए प्रतिपूर्ति व कार्य के लिए विश्लेषण किया गया है। इन श्रेणियों के तहत् प्रक्षेपण के लिए कुछ मुख्य मदों को लिया गया है। इन मदों में सामान्य सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, के तहत ब्याज भुगतानों और पेंशन भुगतानों और सामाजिक सेवाओं के तहत भवनों का रखरखाव और सिंचाई परियोजनाओं का तथा आर्थिक सेवाओं के तहत सड़कों के रखरखाव को शामिल किया गया है। इन मदों के लिए अलग से प्रक्षेपण करने के लिए, अन्य मदों को "अन्य सामान्य सेवाएं", "अन्य सामाजिक सेवाएं" के तहत शामिल किया गया है। जिसके लिए प्रक्षेपण हेतु विशेष मानदण्ड लागू होते हैं। स्थानीय निकायों संबंधी क्षतिपूर्ति और समनुदेशन का अनुमान पृथक रूप से किया गया है। इन चार विस्तृत श्रेणियों के अतिरिक्त दसवीं योजना के अंत में वचनबद्ध योजना देयताओं के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय पक्ष में अंतरण संबंधी व्यय भी अनुमान किया गया है।

ब्याज भुगतान

आधार वर्ष निर्धारण

6.31 ऐसा महसूस किया गया कि 2004-05 के लिए राज्यों द्वारा तैयार किए गए बजट में ब्याज भुगतान स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ राज्यों पर अत्यधिक उधार हो जाएंगे जो उन राज्यों के लिए उचित नहीं होगा जिन्होने अपने विवेक का अधिक प्रयोग करते हुए उधार लिए है। आधार वर्ष में ब्याज भुगतानों के आकलन हेतु, ब्याज भुगतानों की कुल राजस्व प्राप्तियों (आईपी/ टीआरआर) (लाटरियों से निवल) से अनुपात का वर्ष 2002-03 के

लिए अनुमान लगाया गया है, विशेष एवं गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए समूह औसत निकाले गए। संबंधित समूह औसतों से अधिक अनुपात वाले राज्यों के लिए, अधिकता के केवल 80 प्रतिशत को रखने की इजाजत दी गई। तत्पश्चात् ऐसे राज्यों के घटे अनुपात और शेष राज्यों के असमंजित अनुपातों को, वर्ष 2002-03 के लिए ब्याज भुगतानों के सुधरे स्तर पर पहुँचने के लिए, संबंधित राज्य के टीआरआर पर लागू किया गया। प्रत्येक राज्य के सुधरे स्तरों पर वर्ष 2004-05 के लिए आधार वर्ष अनुमान प्राप्त करने के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर लागू की गई है। यह वृद्धि दर ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा उनकी पूर्वानुमान अवधि अर्थात 2000-05 में ब्याज भुगतान के अनुमान के लिए नियोजित दर के समान थी।

पूर्वानुमान अवधि हेतु लक्ष्य

6.32 1993-2003 की अवधि के दौरान भी राज्यों के ब्याज भुगतानों में 18.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से संयुक्त रूप से वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में नॉमिनल ब्याज दरों में गिरावट रही है तथा राज्य केन्द्र सरकार के ऋण अदला-बदली कार्यक्रम से लाभ प्राप्त करते रहे हैं। राज्य वित्तों की पुनर्गठन हेतु रणनीति के मद्देनजर सभी राज्यों के लिए ब्याज भुगतान की वृद्धि दर को एक साथ लेकर 7.5 प्रतिवर्ष में एकीकृत कर दिया गया। इस स्तर को तल-चिन्ह के रूप में इस्तेमाल कर सामान्य श्रेणी के राज्यों को अपने ब्याज भुगतान के अनुमान के लिए विभेदक वृद्धि दरें समुनेदेशित की गई जैसे 6.5 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत एवं 8.5 प्रतिशत 2003-04 (सं.अ.) में 30 प्रतिशत से अधिक आईपी/टीआरआर अनुपात वाले राज्यों को 6.5 प्रतिशत की कम वृद्धि दर समनुदेशित की गई क्योंकि पहले के अत्यधिक उधारों के कारण राज्यों पर ब्याज भुगतान का भारी बोझ है। पुर्वानुमान अवधि के दौरान 23 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के बीच के आईपीटीआरआर अनुपात वाले राज्यों को 7.5 प्रतिशत, से कम वालों को 8.5 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत की वृद्धि दर समनुदेशित की गई। सभी विशेष श्रेणी वाले राज्यों को 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर समनुदिश की गई सिवाए एक राज्य के जिसे 6.5 प्रतिशत की दर इसके अत्याधिक ऋण बोझ के कारण समनुदेशित की गई। तत्पश्चात् 2005-10 के दौरान ब्याज भुगतानों के अनुमान के लिए आधार वर्ष अनुमानों पर राज्य विशिष्ट वृद्धि दर अनुप्रयुक्त की गई। इसकी राज्य के अपने अनुमान से तुलना की गई तथा दोनों में से कम वाले को अपनाया गया।

पेंशन भुगतान

6.33 पेंशन भुगतानों के अनुमान में अल्पावधि अथवा मध्यावधि में पेन्शन प्रोफाइल को प्रभावित करने की राज्यों की अक्षमता को देखते हुए हमारा प्रयास मौजूदा प्रवृत्ति से न्यूनतम विचलन करना था। तदनुसार, 2004-05 (ब.अ.) के आँकड़ों को ब्याज भुगतानों हेतु अपनाया गया है। तत्पश्चात्, पूर्वानुमान अवधि में पेंशन भुगतानों की वार्षिक वृद्धि दर निकाली गई। राज्यों के कुल पेंशन भुगतानों का हमारे विश्लेषण से 1993-2003 की अवधि के लिए 23.9 प्रतिशत की वृद्धि दर का पता चला। चूंकि इस अवधि में पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों की वजह से हुआ पेंशनों का उपरो-मुखी संशोधन वाली अवधि शामिल है, इसलिए हालिया वर्षों में पेंशन भुगतानों में हुई वृद्धि पर ध्यान देने का निर्णय लिया गया। राज्यों के कुल पेंशन भुगतानों में क्रमशः 2003-04 और 2004-05 में 14.8 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। अन्य 10 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर को अपनाया है और इसे पूर्वानुमान अवधि में पेंशन भुगतान स्तरों को सृजित करने के लिए प्रत्येक राज्य के आधार वर्ष अनुमानों पर लागू किया गया। यह नोट किया जाए कि इस दर के मुद्रास्फीति दर से अधिक रहने को 2005-10 के दौरान पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि में कारक है।

सामान्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य

6.34 जैसा कि पहले इंगित किया गया है, हमने इस दो क्षेत्रों के पक्ष में व्यय पुनर्संरचना की अनुमति दी है। इसे इस अध्याय में व्यय के पूर्वानुमान में गैर-वेतन संघटक हेतु उच्चतर वृद्धि दर प्रदान करने और अध्याय 10 में की गई चर्चा के अनुसार इस क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने, दोनों बातों में दर्शाया गया है। आधार वर्ष आँकड़ों के अनुमान के लिए, 1993-2003 के लिए टीजीआर को 2004-05 के लिए संगत संख्या प्राप्त करने हेतु 2002-03 के आँकड़ों पर लागू किया गया। इसकी तुलना 2004-05 के बजट अनुमानों से की गई और दोनों में से कम अनुमान को आधार वर्ष का अनुमान माना गया।

6.35 तत्पश्चात्-पूर्वानुमान अवधि के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली वृद्धि दरें ज्ञात कर ली गई हैं। शिक्षा के मामले में, यह पाया गया है कि कुल मिलाकर राज्यों के लिए मोटे तौर पर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के 85 प्रतिशत में वेतन पर हुआ व्यय शामिल हैं। जबकि स्वास्थ्य के लिए संगत आंकड़ा लगभग 75 प्रतिशत का है। सामान्यतः, हम वेतन में केवल 5 प्रतिशत वृद्धि दर प्रदान करते रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वेतन वास्तविक रूप में स्थिर रह सके । जहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में इस मानदंड का अनुपालन किया गया है, वहाँ शिक्षा क्षेत्र में वेतन संघटक के लिए लगभग 6 प्रतिशत की थोड़ी अधिक वृद्धि दर को अपनाया गया था ताकि अध्यापकों की अतिरिक्त भर्ती को समंजित किया जा सके जोकि सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी होगा। अलग से, इन दो क्षेत्रों के गैर-वेतन भाग में 30 प्रतिशत की एक उच्च वृद्धि दर प्रदान की गई है। उपर्युक्त के अनुसार वेतन तथा गैर-वेतन संघटकों की वृद्धि दरों को उनके संबंधित भारांशों से संयुक्त करके, सामान्य शिक्षा (मुख्य शीर्ष 2202) के लिए 9.5 प्रतिशत और स्वास्थ्य (मुख्य शीर्ष 2210 और 2211) के लिए एक मिश्रित वृद्धि दर प्राप्त की गई। ये वृद्धि दरें प्रत्येक राज्यों पर लागू की गईं। 2005-10 के लिए इन दो क्षेत्रों हेतु पूर्वानुमानित व्यय (अध्याय 10 में अलग से प्रदान किया गया। अतिरिक्त सहायता अनुदान संबंधी व्यय को छोड़कर) अनुबंध 6.4 और 6.5 में निर्दिष्ट किया गया।

सिंचाई कार्यों का अनुरक्षण

6.36 हमने जल संसाधन मंत्रालय से सिंचाई कार्यों (मुख्य शीर्ष 2701 और 2702) के अनुरक्षण हेतु मानदंड प्राप्त कर लिए हैं। आधार वर्ष 2004-05 में बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की उपयोग की गई संभाव्यता के लिए 600 रु. प्रति हेक्टेयर और उपयोग न की गई संभाव्यता के लिए 300 रु. प्रति हेक्टेयर की प्रमाणिक व्यय हमें निर्दिष्ट किया गया है। लघु सिंचाई कार्यों के

मामले में, मंत्रालय ने उपयोग की गई संभाव्यता के लिए वर्ष 2004-05 में 400 रु. प्रति हेक्टेयर के मानदंड का प्रस्ताव किया। तथापि, ग्यारहवें वित्त आयोग का विचार था कि लघु सिंचाई कार्यों हेतु अनुरक्षण मानदंडों को बड़ा एवं मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं के लिए धारित मानदंडों का आधार होना चाहिए। हमने ग्यारहवें वित्त आयोग की प्रथा का अनुपालन करने का निश्चय किया है और लघु सिंचार की उपयोग की गई संभाव्यता के लिए 2004-05 में 300 रु. प्रति हेक्टवेयर दर को अपनाया। लघु सिंचाई कार्यों की उपयोग ने की गई संभाव्यता को महत्वपूर्ण न होने के कारण अनदेखा करने का निश्चय किया गया है। विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार अनुरक्षण मानदंडों में 30 प्रतिशत की वृद्धि लागू की गई। नौवीं योजना के अंत में योजना आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य-वार उपयोग की गई और उपयोग न की गई संभाव्यता को अनुरक्षण व्यय का अनुमान लगाने के लिए ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक राज्य के लिए, 2004-05 के लिए मानदंड आधारित अनुमानों की 2004-05 (ब.अ.) की तुलना की गई है, और दोनों अनुमानों में से अधिक अनुमान को आधार वर्ष अनुमानों के रूप में अपनाया गया है। अनुरक्षण के लिए अधिक प्रावधान करने के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। इस तरह निकाले गए आधार वर्ष अनुमानों के आधार पर, पूर्वानुमान अवधि में पूर्वानुमानित स्तरों को सृजित करने के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर को लागू किया गया है। अनुबंध 6.6 और 6.7 पूर्वानुमान अवधि के दौरान बड़ी एवं माध्यम और लघू सिंचाई स्कीमों पर अनुरक्षण व्यय के पूर्वानुमानित स्तरों को निर्दिष्ट करते हैं।

सड़कों और भवनों का अनुरक्षण

6.37 सड़कों और पुलों (मुख्य शीर्ष 3054) और भवनों (मुख्य शीर्ष 2059 और 2216) के अनुरक्षण के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के 1993-03 की अवधि के लिए टीजीआर (द्विभाजित राज्यों के मामले में संयुक्त टीजीआर) का संगत मुख्य शीर्ष के अधीन पता लगाया गया और उसे वर्ष 2004-05 के लिए प्रांरभिक अनुमान तैयार करने के लिए संबंधित राज्यों के 2002-03 स्तरों पर न्यूनतम 5 प्रतिशत के अधीन लागू किया गया। इन प्रारंभिक अनुमानों की तुलना 2004-05 (ब.अ.) से की गई है दोनों में से अधिक को आधार वर्ष के अनुमानों के रूप में अपनाया गया है। यहाँ पर भी न्यूनतम 5 प्रतिशत टीजीआर और टीजीआर आधारित अनुमानों और बजट अनुमानों में से अधिक के विकल्प ने अनुरक्षण हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जरूरत को दर्शाया है। आधारवर्ष अनुमानों के आधार पर, पूर्वानुमान अवधि में पूर्वानुमानित स्तर प्राप्त करने के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त कर ली गई है। अनुबंध 6.8 और 6.9 पूर्वानुमान अवधि में सड़कों और भवनों के अनुरक्षण व्यय के पूर्वानुमानित स्तरों को दर्शाते हैं। इन व्ययों में अध्याय 10 में अलग से दिए जा रहे अतिरिक्त सहायता अनुदान के तदनुरूपी अनुदान को शामिल नहीं किया गया है।

अन्य सामान्य, अन्य सामाजिक एवं अन्य आर्थिक सेवाएँ

6.38. प्रत्येक राज्य और इन तीन सेवाओं में से प्रत्येक के लिए, 2004-05 के टीजीआर आधारित अनुमानों और बजट अनुमानों में कम वाले अनुमानों को आधार वर्ष अनुमानों के व्यय में अपनाया गया है। ऐसा करते समय, टीजीआर के लिए अन्यूनतम की मत 7.5 प्रतिशत मानी गई है। द्विभाजित राज्यों के लिए, संयुक्त राज्यों के टीजीआर सेवाओं में से प्रत्येक के लिए निकाले गए हैं, किन्तु इन्हें 2004-05 के लिए टीजीआर आधारित अनुमानों को प्राप्त करने के लिए उनके संबंधित 2002-03 स्तरों पर लागू किया गया।

6.39. अगला काम इन तीन सेवा श्रेणियों के लिए पूर्वानुमान अवधि में व्यय की राज्य-वार सेवा-विशिष्ट वार्षिक दरों को प्राप्त करना था। प्रत्येक सेवा श्रेणी में, हमने सभी राज्यों के लिए गैर-वेतन व्यय के लिए एक समान वृद्धि दर, और नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार विभिन्न राज्यों के लिए परिवर्तनीय वेतन वृद्धि दर को अपनाया है। गैर-वेतन व्यय के लिए, "अन्य सामान्य सेवाओं" के अधीन सभी राज्यों के लिए 7 प्रतिशत औसत वृद्धि दर और "अन्य सामाजिक सेवाओं" और "अन्य आर्थिक सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत की दर अपनाई गई है।

6.40. तीनों सेवाओं में से प्रत्येक के अधीन वेतन संघटक के लिए समनुदेशित वार्षिक वृद्धि दरों में वेतन तीव्रताओं के उनके संबंधित स्तरों पर निर्भर राज्यों के बीच भिन्नता रही है (एक मुख्य शीर्ष की "वेतन तीव्रता" को उस शीर्ष के अधीन एनपीआरई के आयोजना-भिन्न वेतन की प्रतिशतता के रूप में परिभाषित किया गया है) इसका उद्देश्य उन राज्यों जिनकी पहले से ही किसी विशेष श्रेणी के अधीन एक उच्च वेतन तीव्रता थी, के लिए वेतन व्यय में हुई वृद्धियों को हतोत्साहित करना था। इस तरह, "अन्य सामान्य सेवाओं" के अधीन 85 प्रतिशत और उससे अधिक वेतन सघनता वाले राज्यों ने उच्चतम वेतन तीव्रता वाला उप-समूह बनाया और उन्हें वेतन संघटक के लिए 4.5 प्रतिशत न्यूनतम औसत वृद्धि दर समनुदेशित की गई। इसी प्रकार, 75 प्रतिशत से 84 प्रतिशत की श्रेणी वाली कम वेतन तीव्रता वाले राज्यों को 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि समनुदेशित की गई और अन्य राज्यों को 5.5 प्रतिशत वेतन वृद्धि समनुदेशित की गई "अन्य सामान्य सेवाओं" के गैर-वेतन संघटक में जैसाकि पहले ही ऊपरोल्लिखित है, सभी राज्यों में 7 प्रतिशत की प्रामाणिक वृद्धि होनी थी। इन दोनो संघटकों के सयोजन से, कुल मिलाकर प्रत्येक उप-समूह के लिए "अन्य सामान्य सेवाओं" के अधीन मिश्रित वृद्धि दर प्राप्त की गई।

6.41. "अन्य सामाजिक सेवाओं" के अधीन, 45 प्रतिशत और अधिक की वेतन तीव्रताओं वाले राज्यों ने उच्चतम वेतन तीव्रता उप-समूह, 44 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच वेतन तीव्रता वालों ने मध्यम तीव्रता उप-समूह और 30 प्रतिशत से नीचे वाले ने न्यूनतम तीव्रता उप-समूह बनाया। उप-समूह वार वेतन वृद्धि दरों को प्रत्येक उप-समूह हेतु मिश्रित वृद्धि दरों को प्राप्त करने के लिए एक समान गैर-वेतन वृद्धि दरों के साथ संयुक्त किया गया।

6.42. "अन्य आर्थिक सेवाओं के अधीन 65 प्रतिशत और अधिक की वेतन तीव्रता वाले राज्यों ने सर्वोच्च उप-समूह 64 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के बीच की वेतन तीव्रता वालों ने मध्यम उप-समूह और 50 प्रतिशत से नीचे की वेतन तीव्रता वाले राज्यों ने न्यूनतम उप-

समूह बनाया। इन वृद्धि दरों को प्रत्येक उप-समूह के लिए मिश्रित वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए 10 प्रतिशत गैर-वेतन वृद्धि दर से संयुक्त किया गया।

6.43. इस प्रकार, सभी राज्यों हेतु नौ मिश्रित वृद्धि दरें निकाली गईं, जिनमें तीनो में से प्रत्येक सेवाओं के लिए तीन दरें रखी गई। प्रत्येक सेवा के लिए, किसी खास एक राज्य के लिए पूर्वानुमान स्तर सृजन हेतु एक उचित मिश्रित दर को इसके आधार वर्ष के अनुमानों पर लागू किया गया। परिणामी मिश्रित वृद्धि दरों और इनसे संबंधित तदनुरूपी राज्यों को अनुबंध 6.10 में दिखाया गया है।

6.44. चुनावों पर निवल व्यय (मुख्य शीर्ष 2015-लघु शीर्ष 0070-02) का राज्यों द्वारा प्रस्तुत पूर्वानुमानों के आधार पर मोटे तौर पर अनुमान किया गया है। तथापि, जहाँ भी किसी राज्य के ऐसे अनुमान वर्ष 2000-05 के दौरान उसके द्वारा खर्च किए गए निवल व्यय से 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ जाए, वहाँ इसमें कटौती की गई है। प्रत्येक राज्य हेतु अनुमानित निवल व्यय को उन वर्षों जिनमें चुनाव होना निर्धारित है, के लिए रखे गए बड़े भाग के साथ, पाँच वर्षों, 2005-10 की अवधि, में बाँटा गया है। चुनावों संबंधी ये अनुमान प्रत्येक राज्य हेतु एनपीआरई के संपूर्ण अनुमान के प्रयोजनार्थ "अन्य सामान्य सेवाओं" के अधीन व्यय (पिछले पैरा में यथानुमानित) में जोड़ा गया है।

स्थानीय निकायों के लिए क्षतिपूर्ति करना और विनिर्दिष्ट करना

6.45. इस मद (मुख्य शीर्ष 3604) के तहत व्यय राज्यों द्वारा अपने स्थानीय निकायों को सीधे ही मुहैया कराई गई अनुदान सहायता है। चूंकि, यह व्यय शाखा कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है अतः हम वर्ष 2000-03 (विभाजित किए गए राज्यों के मामले में) वर्ष 2001-03 का औसत लेते हैं और आधार वर्ष के अनुमानों तक पहुंचने के लिए और यह मानते हुए कि औसत को वर्ष 2001-02 पर केन्द्रित किया गया है 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का प्रयोग करते हैं। पूर्वानुमान अवधि में, आधार वर्ष के अनुमानों पर 12.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का प्रयोग किया गया था। यह तुलनात्मक रूप से वृद्धि की ऊंची दर है, जैसाकि व्यय की अन्य मदों से तुलना की गई है, और यह स्थानीय निकायों के लिए बढ़े हुए वित्तपोषण के सम्बन्ध में है, और इसने हमारे ध्यान को बल दिया है।

वचनबद्ध योजना दायित्वों का अन्तरण

6.46. एक पंचवर्षीय अवधि के पूरा होने पर, राज्य पूर्ण हुई प्लान योजनाओं से जुड़ी वचनबद्ध दायित्वों से अन्तरण को गैर-प्लान में ले जाने की आशा की जाती है। इस प्रबन्ध से राज्यों को ऐसे दायित्वों का वित्तपोषण करने में केन्द्रीय प्लान सहायता के अलावा सहायता मिलती है। बाद में, राज्य सरकारों की नई स्कीमों के वित्तपोषण के लिए केन्द्रीय प्लान सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विचारार्थ विषय के पैरा 6(vi) में हमसे 31 मार्च, 2005 तक पूरी की जाने वाली प्लान योजनाओं के सम्बन्ध में व्यय के रखरखाव से सम्बन्धित गैर-मजदूरी पर विचार करने की आशा की गई है। चूंकि आमतौर पर, प्लान-स्कीमों का अंतरण गैर-प्लान में करने में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में करने की संभावना की जाती है, अतः हमने वर्ष 2007-08 से लेकर आगे तक इस विचारणा में पक्ष लिया है।

6.47. दसवीं योजना के आरम्भ में गैर-प्लान में अंतरण की गई वचनबद्ध दायित्वों के सम्बन्ध में मिली सूचना को विश्वसनीय नहीं पाया गया। हमारी इच्छा इन अन्तरणों की प्लान राजस्व व्यय के एक प्रतिशत के रूप में आंकना था और वर्ष 2006-07 में हमारी अनुमान अवधि के पिछले तीन वर्षों में अन्तरण किए जाने वाले वचनबद्ध दायित्वों के आकलन के क्रम में, दसवीं योजना के अंतिम वर्ष में प्रक्षेपित राज्यों के प्लान राजस्व व्यय के लिए समान समानुपात का प्रयोग करना था। अधिकतर राज्य हमें इस सूचना को उपलब्ध नहीं करा सके और जिसने उपलब्ध कराई उसने उस अन्तरण में काफी अंतर दिखाया है। अतः हमने सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए समानुपात का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। अतः वर्ष 2006-07 में प्लान राजस्व व्यय के 30 प्रतिशत का सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के लिए अगले वर्ष में गैर-प्लान के लिए अन्तरण के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, हालांकि, ग्यारहवें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में, इस प्रकार का कोई अन्तरण मुहैया नहीं कराया है, अतः हमने उनके प्लान राजस्व व्यय के 10 प्रतिशत के अंतरण को गैर-योजना में मान लिया है।

6.48. वर्ष 2006-07 में प्लान राजस्व व्यय की गणना करने के लिए, वर्ष 2006-07 का स्तर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक राज्य के वर्ष 2004-05 (बजट अनुमान) के प्लान राजस्व व्यय के सम्बन्ध में हम 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर पर आरूढ़ रहे। इससे, सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के लिए वर्ष 2007-08 में गैर-योजना राजस्व व्यय साइड के लिए 30 प्रतिशत अन्तरण के रूप में मुहैया कराया गया है, और 10 प्रतिशत विशेष श्रेणी वाले राज्यों को मुहैया कराया गया है। हमने, जैसा कि योजना आयोग ने उनके गैर-योजना व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय योजना सहायता का 20 प्रतिशत मुहैया कराने के लिए अनुमति दी है। इसके बाद, वर्ष 2007-08 के लिए अनुमानित वचनबद्ध दायित्वों का स्तर पूर्वानुमान अवधि के शेष दो वर्षों में 7.5 प्रतिशत की वार्षिक दर पर वृद्धि हुई थी। अनुबन्ध 6.11 पूर्वानुमान अवधि में वचनबद्ध दायित्वों के अन्तरण से सम्बन्धित व्यय को दर्शाता है।

मूल्यांकन का सार

6.49 इस विस्तृत चर्चा का परिणाम, राजस्व के हमारे मूल्यांकन को दर्शाते हुए, स्वीकृत अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य के व्यय और गैर-योजना राजस्व घाटे को सुपर्द करने से पूर्व सभी राज्यों के एक साथ परिणामों के सार अनुबन्ध 6.12, सारणी 6.2 में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6.2

सभी राज्यों का सुपर्दगी-पूर्व गैर-योजना राजस्व लेखा, 2005-10

(रुपये करोड़/प्रतिशत)

मद	राज्यों का प्रक्षेपण	हमारा प्रक्षेपण	अन्तर (3-2)
(1)	(2)	(3)	(4)
i. स्व-राजस्व प्राप्तियां	1391002 *(6.3)*	1653661 *(7.5)*	262659 (1.2)
ii. गैर-योजना राजस्व व्यय	2315499 *(10.5)*	1879298 *(8.5)*	-436201 (-2.0)
iii. सुपर्दगी-पूर्व अन्तर (i - ii)	-924497 *(-4.2)*	-225637 *(-1.0)*	698860 *(3.2)*

लघु कोष्ठकों में आंकड़े स.घ.उ. के प्रतिशतांक के हैं।

सकल घरेलू उत्पाद के 6.3 प्रतिशत पर स्व-राजस्व की प्राप्तियों के राज्यों के प्रक्षेपणों की तुलना करने पर, इस आयोग में मूल्यांकन को 7.5 प्रतिशत पर रखा है, अर्थात प्रतिशतांक बिन्दु में 1.2 प्रतिशतांक की वृद्धि है। एनपीआरई में गिरावट, हालांकि, काफी हद तक अर्थात 2.0 प्रतिशतांक बिन्दु तक से बड़ा है। सुपुर्दगी-पूर्व अंतर का दबाव स.घ.उ. का 4.2 प्रतिशत का 1.0 प्रतिशत होने के परिणाम ने राजस्वों और व्यय के मूल्यांकन को नियामक बनाया है।

नियामक मूल्यांकन की मुख्य-मुख्य बातें

6.50. स्व कर राजस्वः राज्य के वित्त प्रबन्धन का पुनर्गठन करने के अनुसरण में, सकल घरेलू उत्पाद कर का अनुपात, सभी राज्यों पर विचार करते हुए, पूर्वानुमान अवधि से इसे 0.9 प्रतिशतांक बिन्दु से कम के मुकाबले कुछ बढ़ाया गया है। इसे दो चरणों में प्राप्त किया गया है। प्रथम चरण में, उन राज्यों का कर-जीएसडीपी अनुपात जिसके लिए यह अनुपात उनके सम्बन्धित समूह औसत से तुलनात्मक रूप से कम है, को आधार वर्ष में आंशिक रूप से कम कर दिया गया है। पूर्वानुमान अवधि के लिए प्रक्षेपण से सम्बन्धित दूसरे चरण में, राज्यों को इस प्रकार उछाल का अन्तर बता दिया गया है ताकि कर-स.घ.उ. अनुपात में समग्र सुधार कर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

6.51. **स्व-गैर-कर राजस्वः** जहां कहीं संभव होता है, स्व-कर-भिन्न राजस्वों को संयुक्त लागत से जोड़ा गया है। अतः, ब्याज की प्राप्तियां और लाभांशों के प्रक्षेपण उधार लागतों के कुछ भाग की वसूली पर आधारित हैं। इसी प्रकार, रख-रखाव व्यय के एक वास्तविक भाग की इन वसूली मानदण्डों को बनाकर सिंचाई वसूलियों के प्रक्षेपणों के लिए लागत वसूली मानदण्डों के रूप में प्रयुक्त किया गया है। सामान्य, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के तहत प्रयुक्त चार्जों का प्रक्षेपण करने के लिए, संयुक्त की गई वृद्धि दरों को पूर्व के उनके प्रक्षेपण की गई व्यय की वृद्धि दरों को उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया है। अतः प्रक्षेपण किए गए स्व-कर-भिन्न राजस्वों के लिए अपनाई गई लागत वसूली के सिद्धान्त से बजटीय प्रावधानों में अप्रत्यक्ष सब्सिडियों को कम किया गया है।

6.52. गैर-योजना राजस्व व्ययः हमारी सोच, सामान्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और भवनों का रखरखाव करने से सम्बन्धित के क्षेत्रों में व्यय में उच्च वृद्धि दर को बढ़ावा देते समय एनपीआरई की वृद्धि दर पर दबाव बनाने का प्रयास करता रहा है। उस पर निम्नानुसार ध्यान दिया गया हैः

(i) **ब्याज भुगतानः** समग्र रूप से इस बात पर ध्यान दिया गया है कि ब्याज भुगतानों के भार को कम किया जाए और घाटा अनुदान की गणना करते समय विगत में कुछ राज्यों द्वारा बड़े पैमाने पर लिये गए उधारों से उत्पन्न ब्याज भुगतानों के लिए पूरी तरह से मुहैया न कराना है। इस उद्देश्य के लिए, उन राज्यों जिनका कुल राजस्व प्राप्तियों के ब्याज भुगतानों का अनुपात औसत से अधिक है, के लिए आधार वर्ष में सुधार कर दिये गये है। इसके अलावा, पूर्वानुमान अवधि में प्रक्षेपणों के लिए, वर्ष 1993-2003 के दौरान 18.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के मुकाबले 7.5 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर को अपनाया गया है।

(ii) **पेंशन भुगतानः** मध्यावधि में इस व्यय प्रवाह के प्रभाव को डालने वाले राज्यों की असमर्थता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2004-05 के लिए बजट अनुमानों को आधार वर्ष आंकड़े के रूप में स्वीकार किया गया है, और हाल की वृद्धि दर के अनुसार पूर्वानुमान अवधि में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर को स्वीकार किया गया है।

(iii) **शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रः** हमारा ध्येय यह रहा है कि इन क्षेत्रों में उच्च व्यय को बढ़ावा दिया जाए। यहां इस प्रक्षेपण में, हमने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के वेतन घटक में क्रमशः 6 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की एक सामान्य वृद्धि दर को रखा है, लेकिन वेतन-भिन्न घटकों में 30 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि दर रखी है। अतः राजस्व घाटा अनुदानों को तदनुसार तैयार किया गया है। तथ्य के प्रति सजग रहते हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय के लिए उदार मानदण्डों के प्रयोग की गारन्टी नहीं देते कि इन क्षेत्रों के लिए निधियों का प्रवाह होगा, अतः हमने जैसा कि अध्याय 10 में चर्चा की गई है कुछ राज्यों को सिद्धान्त के अनुरूप करने के लिए इन दो क्षेत्रों को अलग से अतिरिक्त अनुदान सहायता दी है।

(iv) **सिंचाई कार्य का रखरखावः** प्रक्षेपणों को बड़े पैमाने पर जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त मानदण्डों के आधार पर तैयार किया गया है। हमने जिस आधार वर्ष को चुना है, उसमें व्यय मानदण्ड प्रमुख और मध्यम सिंचाई वाली संभावित योजनाओं के लिए 600 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा संभावित अप्रयुक्त योजनाओं के लिए 300 रुपये प्रति हेक्टेयर रखा गया है। लघु सिंचाई योजनाओं के लिए मानदण्ड 300 रुपये प्रति हेक्टेयर रखा गया है। यह प्रक्षेपण 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर पर तैयार किया गया है।

(v) **सड़कों और पुलों का रखरखाव:** इसमें हमने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के समरूप ही दृष्टिकोण तैयार किया है। हमने, जैसाकि अध्याय 10 में चर्चा की है, के अनुसार, अलग से अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराने के लिए सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए वृहत व्यय को बढ़ावा दिया है। राजस्व घाटा अनुदान की गणना के लिए, हमने हालांकि, पूर्वानुमान अवधि में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर को सामान्य व्यय आंकड़े के में स्वीकार किया है।

(vi) **अन्य सामान्य, अन्य सामाजिक और अन्य आर्थिक सेवाएं:** इन मदों पर, वृद्धि दर के संदर्भ में, विशेषकर, उनके वेतन खण्ड के वृद्धि दबाव के लिए उपयुक्त माना गया है। अतः आधार वर्ष में, टीजीआर-आधारित अनुमानों और बजट अनुमानों को कम लिया है। प्रक्षेपण के उद्देश्यों के लिए, वेतन खण्ड केवल 5 प्रतिशत की औसत सामान्य वृद्धि दर दर्शाते हुए, वास्तविक रूप में, स्थिर रहा। वेतन-भिन्न खण्ड में अन्य सामान्य सेवाओं के लिए 7 प्रतिशत और शेष से सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत पर सामान्य वृद्धि रही है।

(vii) **दो स्थानीय निकायों के लिए प्रतिपूर्ति और कार्य सौंपना:** हमने दो तरह से स्थानीय निकायों में व्यय को बढ़ाया है। पहला, हमने राज्यों के वसूली खण्ड से केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर स्थानीय निकाय के अनुदान को अलग रखा है, लेकिन, व्यय खण्ड से समान राशि को अलग नहीं रखा है। इससे राज्यों के लिए सामान्यतः राजस्व घाटा अधिक होगा। दूसरे, हमने स्थानीय निकायों के लिए प्रतिपूर्ति और कार्य से सम्बन्धित व्यय पर प्रक्षेपण अवधि के दौरान 12.5 प्रतिशत के सामान्य राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है।

(viii) **वचनबद्ध प्लान दायित्वों के अन्तरण:** सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के लिए वर्ष 2006-07 में प्लान राजस्व व्यय का 30 प्रतिशत और विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में 10 प्रतिशत को वर्ष 2007-08 के लिए प्लान-भिन्न राजस्व व्यय खण्ड में अन्तरण किया है, जो राज्यों की नई स्कीमों को आरम्भ करने में राज्यों की सहायता करेगा।

❑❑